न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बाह्य न्यायालय संभल।

कम्प्यूटर वाद सं0–458/2020,

अपराध संख्या 26/2019,

धारा 13 जी एक्ट

थाना–नखासा, जिला संभल।

सरकार **बनाम** अक्कू उर्फ आकिब आदि

दिनांक 13.09.2025

प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ। अभियुक्तगण शकीब, मौ० आकिब, मौ० हसन न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण शकीब, मौ० आकिब तथा मौ० हसन की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर निस्तारित करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर रहा है और जुर्माने के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाये। अभियुक्त द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति कर स्वतन्त्र सहमति व्यक्त की गयी है। अभियुक्त स्वेच्छा से बगैर किसी जोर दबाव के जुर्म स्वीकारना चाहता है। अत: जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण शकीब, मौ० आकिब तथा मौ० हसन को अपराध संख्या 26/2019, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की स्थिति को देखते हुये निम्नवत दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्तगण शकीब, मौ० आकिब तथा मौ० हसन को अपराध संख्या 26/2019, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना नखासा, जनपद संभल में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 50/–रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने पर अभियुक्त को एक दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

दिनांक 13.09.2025

(वन्दना सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,
बाह्य न्यायालय संभल।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR JAISWAL
Date: 2025.09.13 12:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court